संख्या –525 /V-2–26(आ0)/2011

प्रेषक,

एम0एच0 खान,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव
औद्योगिक विकास विभाग
उत्तराखण्ड शासन।

आवास अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक 01 अप्रैल, 2013

विषय : उत्तर प्रदेश विकास अधिनियम, 1976 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) के अन्तर्गत अधिसूचित औद्योगिक विकास क्षेत्रों में विकास योजनाओं का विनियमन ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आवास विभाग के शासनादेश स0–127/26(आ0)/2011 दिनांक 05–1–2013 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा औद्योगिक विकास क्षेत्रों के अन्तर्गत किये जाने वाले विकास कार्यो को आवास विभाग के नियंत्रणाधीन विकास प्राधिकरणों, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों एवं विनियमित क्षेत्रों द्वारा विनियमित किये जाने के कारण उत्पन्न समस्याओं के निराकरण हेतु दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2– आवास विभाग के उक्त शासनादेश द्वारा आवास विभाग के नियंत्रणाधीन विकास प्राधिकरणों, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों, विनियमित क्षेत्रों एवं आवास विकास परिषद को उत्तर प्रदेश विकास अधिनियम, 1976 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) के अधीन अधिसूचित औद्योगिक विकास क्षेत्रों में औद्योगिक विकास विभाग की अधिसूचना संख्या–2381–स0अ0वि0/2005–137उद्योग/2005 दिनांक 07–7–2005 द्वारा गठित राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (SIDA) द्वारा की जाने वाली विनियमन की कार्यवाही में हस्तक्षेप न किये जाने हेतु निर्देशित करते हुए यह स्पष्ट किया गया है कि उक्त अन्य संस्थाओं/प्राधिकरणों के द्वारा मात्र उन क्षेत्रों में औद्योगिक विकास/निर्माण कार्यो का विनियमन किया जा सकता है जो कि संदर्भित अधिनियम के अन्तर्गत "औद्योगिक विकास क्षेत्र" अधिसूचित नहीं है।

3– विभाग के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित औद्योगिक विकास क्षेत्र से इतर क्षेत्र में भी उद्योगों के मानचित्र स्वीकृत किये जा रहे हैं और इस कारण विकास प्राधिकरण की क्षेत्राधिकारिता को लेकर भ्रांति उत्पन्न हो रही है। अतः अनुरोध है कि कृपया औद्योगिक विकास विभाग की अधिसूचना सं0–2381–स0अ0वि0/2005–137उद्योग/2005, दिनांक 07–7–2005 द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों के अतिरिक्त ऐसे अन्य क्षेत्र जहॉ हो रहे औद्योगिक विकास को राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा निगमित किया जाना आशयित हो, उन्हें उत्तर प्रदेश विकास अधिनियम, 1976 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) के अन्तर्गत औद्योगिक विकास क्षेत्र अधिसूचित करने की कार्यवाही विभाग द्वारा शीघ्र सम्पादित करा ली जाये । ऐसी अधिसूचना निर्गत हुए बिना इन

क्षेत्रों में राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरणों द्वारा विनियमन कार्य करना नियमसंगत नहीं होगा तथा ऐसे क्षेत्रों में विकास प्राधिकरणों द्वारा ही पूर्ववत विकास कार्यो का निगमन/प्रवर्तन कार्य किया जाना विधिक बाध्यता है।

भवदीय,

(एम0एच0 खान)
सचिव।

संख्या–525(1)/v-2/26(आ0)/2011 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. आयुक्त, आवास विकास परिषद, उत्तराखण्ड।
2. अध्यक्ष, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, नैनीताल/गंगोत्री/देहरादून।
3. उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, देहरादून/हरिद्वार/टिहरी ।
4. समस्त विहित प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र, उत्तराखण्ड।
5. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून/गार्ड फाईल।

(गरिमा रौंकली)
उप सचिव।